उत्तर प्रदेश प्रदेश शासन,
कृषि अनुभाग-4,
संख्या-2/2015/609/12-4-15-417/2011,
लखनऊ दिनॉक 13 मई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-774/12-4-13-417/2011, दिनॉक 01-07-2014 द्वारा श्री महक सिंह, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी (भू0सं0), कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, बिजनौर की पत्नी श्रीमती उमेश सिंह की चिकित्सा में व्यय हुई धनराशि रू0 05,26,343/-(रूपये पॉच लाख छब्बीस हजार तीन सौ तैतालिस मात्र) की प्रतिपूर्ति के आदेश निर्गत किये गये है।

2- उक्त शासनादेश दिनॉक 01-07-2014 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित वाक्यांश "वित्तीय वर्ष-2014-15 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-107-वनस्पति संरक्षण-03-पौध संरक्षण सेवा के अन्तर्गत उपचार हेतु मानक मद-49-चिकित्सा व्यय" के स्थान पर वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष "2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनेत्तर-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-03-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण कार्यक्रम" अंकित किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान की जाती है।

3- तदनुसार उक्त स्तर तक शासनादेश दिनॉक 01-07-2014 को संशोधित पढा जाय।

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2/2015/690(1)/12-4-2015 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर।
(3) कोषाधिकारी, बिजनौर।
(4) कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-ए0बी0(2)/27/वि0-एक/चि0प्र0पू0/14-15, दिनॉक 10-04-2015 के संदर्भ में उपचार से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र/बिल बाउचर्स मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित है।
(5) संबंधित कार्मिक द्वारा भूमि संरक्षण अधिकारी, बिजनौर।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नक-यथोपरि।

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in